मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मांग संख्या 39

मत्स्य पालन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	790.58	14.17	804.75
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**790.58**	**14.17**	**804.75**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.80	...	17.80
1.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.20	...	2.20
जोड़- सचिवालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*
2. मात्स्यिकी संस्थान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.33	14.17	139.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**145.33**	**14.17**	**159.50**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
3. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
स्वायत्त निकाय												
4. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80.75	...	80.75
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**85.25**	**...**	**85.25**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
नीली क्रांति												
5. मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	550.00	...	550.00
6. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-नीली क्रांति	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**560.00**	**...**	**560.00**
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**560.00**	**...**	**560.00**
कुल जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*790.58*	*14.17*	*804.75*
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. मत्स्य पालन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	249.69	...	249.69
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
3. मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.17	14.17
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**269.69**	**14.17**	**283.86**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64.00	...	64.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	445.14	...	445.14
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.75	...	11.75
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**520.89**	**...**	**520.89**
कुल जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**790.58**	**14.17**	**804.75**

इन स्कीमों के संबंध में सं.अ. 2018-19 तक के प्रावधान मांग संख्या-40 पशुपालन और डेयरी विभाग में दर्शाए गए है, क्योंकि पहले ये स्कीमें उस मांग का भाग थी।

1.01. **स्थापना व्यय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है।

2. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थान के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

3. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली अलग योजना के लिए है

5. **मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन:** यह प्रावधान मात्स्यिकी के एकीकृत विकास तथा प्रबंधन हेतु पुनर्संरचित योजना के लिए है जिसमें अंतर्जलीय मात्सियकी, जलजीवकृषि, समुद्रीय मात्सियकी आदि शामिल हैं।

6. **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि:** यह कोष देश में मछुआरों के लाभ के लिए नई योजना मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास कोष के लिए रखा जाता है